

UPMP040123622026



न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग) एफ० टी० सी० (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), मैनपुरी।
पीठासीन अधिकारी- (MONU), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP04848

आपराधिक वाद संख्या-1151/2026
धारा- 34 पुलिस एक्ट
थाना-करहल, जिला मैनपुरी।

दिनांक-09.05.2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रामकुमार पुत्र दिवारीलाल के द्वारा धारा- 34 पुलिस एक्ट के प्रकरण में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु० 10/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है।

(मोनू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (अ.व.)
एफ.टी.सी. (सी. ए.डब्लू.), मैनपुरी।
J.O. Code UP04848